म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/निर्माण/308/पार्ट/निर्देश/18–19/1598 भोपाल, दिनांक 05/10/18

परिपत्र

कृषि उपज मंडी समितियों के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों के संबंध में कार्यलयीन परिपत्र क्रमांक 140 दिनांक 12.01.2007 से एकजाई प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किये गये थे, जो निर्माण निर्देशिका के रूप में वर्तमान में प्रभावशील है।

(2) उक्त जारी निर्देश में निर्माण कार्यों की विभिन्न स्वीकृतियों हेतु अधिकार इत्यादि भी प्रावधानित है, जिनमें से तकनीकी स्वीकृति के वर्तमान प्रावधानों के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन एतद् द्वारा प्रतिस्थापित किये जाते हैः—

(तकनीकी स्वीकृति)

क्रमांक	अधिकारी का पद	अधिकतम लागत सीमा
1.	उपयंत्री	रूपये 1.00 लाख तक।
2.	सहायक यंत्री, बोर्ड	रूपये 5.00 लाख तक।
3.	कार्यपालन यंत्री, बोर्ड	रूपये 20.00 लाख तक।
4.	अधीक्षण यंत्री, बोर्ड	रूपये 50.00 लाख तक।
5.	मुख्य यंत्री, बोर्ड	रूपये 50.00 लाख से अधिक।

(3) उपरोक्त कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार मंडी समिति को होंगे तथा कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 25 (क) (6) के अनुसार स्थाई निधि से किये जाने वाले निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाना होगी।

(4) मंडी समिति निधि के वित्त पोषित निर्माण कार्यों की निविदा स्वीकृति के संबंध में पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1759 दिनांक 13.02.2009 के प्रत्यायोजित अधिकारों को निरस्त करते हुए निविदा स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अधिकार प्रावधानित किये जाते हैः—

(निविदा स्वीकृति)

क्रमांक	मण्डी का वर्ग	संशोधित निविदा लागत दर सहित	स्वीकृत करने वाले अधिकारी का पद
1.	मडी समिति समस्त वर्ग	निविदा लागत राशि 20.00 लाख तक।	कार्यपालन यंत्री

निलंबन-2/-

(5) निर्माण कार्यों की स्वीकृति तथा निविदा दर स्वीकृति की कार्यवाही में निम्नलिखित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा:—

1. उपरोक्त कार्यों के लिए मण्डी समिति में सभी वैधानिक दायित्वों एवं वेतन भत्तों के पश्चात् शेष राशि होने पर ही किये जा सकेगें।
2. उपरोक्त कार्यों के लिए बजट में प्रावधान तथा उसी वार्षिक कार्य योजना में समावेश होना आवश्यक है।
3. कार्यपालन यंत्री द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा की समरूप कार्य टुकड़ों में विभाजित नहीं किया है।
4. निर्माण कार्यों की निविदा दर 5% से अधिक आने पर निविदा स्वीकृति की कार्यवाही के पूर्व मुख्य यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय से निविदा दर का स्पष्ट औचित्य दर्शाते हुए अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा पर मंडी सचिव द्वारा भुगतान किया जावेगा। कार्यपालन यंत्री द्वारा अनुशंसा पर मंडी सचिव द्वारा अनिवार्य रूप से सात दिवस में भुगतान की कार्यवाही करनी होगी।

(6) मंडी समितियां यह भी सुनिश्चित करेंगी कि मंडी प्रांगण की वर्तमान संरचनाओं के रख–रखाव/मरम्मत इत्यादि के लिए "अ" तथा "ब" वर्ग की मंडी समितियां बजट का 2% एवं "स" तथा "द" वर्ग की मंडी समितियां बजट का 5% का बजट में प्रावधान अनिवार्य रूप से करेंगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण निर्देशिका के रूप में प्रभावशील परिपत्र क्रमांक 140 दिनांक 12.01.2007 के अन्य प्रावधान तथा उक्त परिपत्र के सह भाग के रूप में जारी अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

(कार्यवाही अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

निरन्तर—3/

क्रमांक / बोर्ड / निर्माण / 308 / पार्ट / निर्देश / 18–19 / 1599 भोपाल, दिनांक 05/10/18

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय एवं अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. जिलाध्यक्ष, जिला................................ ।
4. अपर संचालक (वित्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
5. संयुक्त संचालक / उपसंचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय................................ ।
6. कार्यपालन यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग.............
7. सहायक यंत्री / उपयंत्री, उपसंभाग क्रमांक....................................... ।
8. अध्यक्ष / सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.. जिला....................................... ।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल